

देवा,

प्रिय प्रभु श्री
वैष्णव महापरम्परा
उत्तम प्रशिक्षण ।

सेवा में,

प्रियो, विद्यालय के सभी विद्यार्थी,
प्रियो विद्यालय के सभी विद्यार्थी
प्रियो विद्यालय के सभी विद्यार्थी ।

प्रिया १७ अनुभाग

तिथि: दिनांक १६ जून, २०१७

विषय:-

विद्यालय की विद्यार्थी छात्र छात्रा की विद्यालय की विद्यार्थी के द्वारा
देते उपचारपूर्वक प्रश्न पर जवाब दिया जाने विषय ।

प्रहोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निष्ठा हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **विद्यालय** नईतिली से
संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हिये जाने में इस राज्य सरकार को निष्पलिखित
प्रतिक्रिया के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा ।
- २। विद्यालय की पृष्ठभूमि समिति में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक समिति होगा ।
- ३। विद्यालय में नम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०५०माध्यमिक विद्या परिषद/बेतिक
विद्या परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी
और यह पूर्व में विद्यालय माध्यमिक विद्या परिषद अथवा बेतिक विद्या
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
विद्या परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल स्टीफिकेट इक्या मिनेस्ट
नईतिली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों
की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०५०माध्यमिक विद्या परिषद द्वारा
प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो
जायें ।

- (५) संस्था के शैक्षिक सर्वं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- (६) कर्मचारियों नी सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असामीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (७) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (८) विद्यालय लिंकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (९) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूंक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

प्राप्ति प्रमाण पत्र ।

पूर्णसंवेद दिनांक त्रैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तूष्णीर्थ सर्वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- पण्डित संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुमुक्षु ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मुमुक्षु ।**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, ३०४०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, **सरस्वती विद्या मंदिर छात्र वाचन, मथुरा ।**
- 6- गार्ड बुक ।

आद्वाता मे,

प्राप्ति प्रमाण पत्र ।


PRINCIPAL
SARASWATI VIDYA MANDIR
CHHATA (Mathura)

MANAGER
SARASWATI VIDYA MANDIR
Goverdhan Marg, Chhata, Mathura

2.5.2020
MANAGER
SARASWATI VIDYA MANDIR
Goverdhan Marg, Chhata, Mathura